



2026:AHC:178946

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8734 सन् 2026

कमल शर्मा और एक अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता

: ब्रजेश कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 434 सन् 2025, थाना उत्तर, जनपद फिरोजाबाद में भा.ना.सं. की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 109(1)बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण, सूचनाकर्ता के श्वसुर तथा सास हैं। एक छोटे वैवाहिक विवाद के कारण मिथ्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदकगण द्वारा घायल को गला घोटने का प्रयास करने में सम्मिलित होने के अभिकथन पूर्णतः असत्य हैं। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक संख्या 1, 62 वर्षीय व्यक्ति है तथा आवेदक संख्या 2 उसकी पत्नी है, जो समान रूप से वृद्ध है। उनका फंसाया जाना मिथ्या है। किसी भी क्षति को गंभीर प्रकृति की अथवा जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाया गया है।
- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है तथा यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण के घटना में सम्मिलित होने के विशिष्ट अभिकथन किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घायल को गला घोटने का प्रयास किया गया था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट रज्जु द्वारा गला घोंटे जाने (लिगेचर स्ट्रेंग्युलेशन) के अभिकथनों का समर्थन करती है। आवेदकगण को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए तथा उनका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6. यद्यपि आवेदकगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, वे घायल के श्वसुर तथा सास होने के नाते वृद्धावस्था के व्यक्ति बताए गए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन के विलंब से दर्ज कराई गई है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2025 का है, प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं 16.07.2025 को दर्ज कराई गई है। किसी भी क्षति को गंभीर प्रकृति की अथवा जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाया गया है। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, घायल के श्वसुर तथा सास होने के नाते आवेदकगण को मिथ्या रूप से फंसाया गया हो सकता है। यह अंगीकृत है कि विवाह वर्ष 2019 का है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकारों के मध्य दीर्घकालिक वैवाहिक विवाद है। आवेदकगण का मामला सह-अभियुक्त, घायल के पति, के मामले से भिन्न आधार पर है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदकगण-**कमल शर्मा** तथा **सुनीता शर्मा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर समान धनराशि के अपने-अपने व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

i. आवेदकगण जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएँगे;

ii. आवेदकगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे;

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे धमकाएँगे नहीं;

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं समझा जाए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

Translated Version, Not For Legal Use.